निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 54/2025 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
राज्य सरकार जरिये विमला मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक बस्सी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स लक्की रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल बिहारीपुरा मोड, आगरा रोड, तहसील बस्सी जरिये श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी धवाला खुर्द, तहसील भीम, जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. मय एलपीजी 32.400 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मनोज कुमार शर्मा अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.01.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 24.10.2024 को मैसर्स लक्की रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल बिहारीपुरा मोड, आगरा रोड, तहसील बस्सी, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध व्यावसायिक उपयोग करना पाये गये है। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 05.11.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मैसर्स लक्की रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल बिहारीपुरा मोड, आगरा रोड, तहसील बस्सी, जयपुर की जांच की अप्रार्थी की उपस्थिति में परिसर की जांच करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर

जिला कलक्टर
जयपुर

आई.ओ.सी.एल. पाये गये। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से ढाबे पर रोटी, सब्जियां, चाय–नाश्ता इत्यादि बनाकर ग्राहकों को वाणिज्यिक तौर पर लाभ हेतु विक्रय किया जा रहा था। मौके पर मैसर्स बस्सी गैस सर्विस, तहसील बस्सी के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 32.400 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तावेज पेश किया गया और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर सिलेण्डर प्रार्थी के स्वयं के है। सिलेण्डर कनेक्शन शुदा है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष की बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 24.10.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच 04 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. मय एलपीजी 32.400 किलोग्राम से रोटी, सब्जियां, चाय–नाश्ता इत्यादि बनाकर ग्राहको को वाणिज्यिक उपयोग करते पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी. का अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. मय एलपीजी 32.400 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 05.11.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

11. निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner